न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) -- जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 18/2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री रमेश कुमार मेहरा पुत्र श्री सोहन लाल मेहरा निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पुलिस थाना प्रागपुरा।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) आरिफ खान अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.03.2012 को शिकायत की जांच हेतु नारायणपुर मोड, कोटपूतली, जयपुर पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी श्री रमेश कुमार मेहरा पुत्र श्री सोहन लाल मेहरा से 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 एचपीसी+3बीपीसी) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आईओसी, एक रिलायन्स कम्पनी का सिलेण्डर, दो नोन आईएसआई मार्का छोटे सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) मय एलपीजी 45.400 किग्रा, 10 प्रेशर रेग्यूलेटर (6 बीपीसी, 3 एचपीसी व 1 इण्डेन), 1 लोहे की बांसुरी, 1 पेचकस व एक पाना जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका एवं पंचनामा, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 07.05.2012 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रकरण दिनांक 28.07.2015 को बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती, मौका पर्चा आदि का हवाला देते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 02.03.2012 को जब्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 एचपीसी+3बीपीसी) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आईओसी, एक रिलायन्स कम्पनी का सिलेण्डर, दो नोन आईएसआई मार्का छोटे सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) मय एलपीजी 45.400 किग्रा, 10 प्रेशर रेग्यूलेटर (6 बीपीसी, 3 एचपीसी व 1 इण्डेन), 1 लोहे की बांसुरी, 1 पेचकस व एक पाने द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौंके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (5 एचपीसी+3बीपीसी) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आईओसी, एक रिलायन्स कम्पनी का सिलेण्डर, दो नोन आईएसआई मार्का छोटे सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) मय एलपीजी 45.400 किग्रा, 10 प्रेशर रेग्यूलेटर (6 बीपीसी, 3 एचपीसी व 1 इण्डेन), 1 लोहे की बांसुरी, 1 पेचकस व एक पाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर